संख्या- /2017/ /पाँच-6-2016-5(32)/11

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला एवं महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजनान्तर्गत जिला पुरूष चिकित्सालय, आगरा में नये ओ0पी0डी0 ब्लाक (जी+2) के भवन निर्माण कार्य संबंधी प्रायोजना प्रस्ताव की पुनरीक्षित प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10077/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.09.2016 व अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-10610/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.11.2016 तथा शासनादेश संख्या-2288/पांच-1-2011-5(32)/11 दिनांक 29.09.2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.09.11 द्वारा जिला एवं महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजनान्तर्गत जिला पुरूष चिकित्सालय, आगरा में नये ओ0पी0डी0 ब्लाक (जी+2) के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-1008.70 लाख की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त पी0एफ0ए0डी0 द्वारा रू0-1362.51 लाख की पुनरीक्षित लागत अनुमोदित की गयी।

2- अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के अनुसार जिला एवं महिला चिकित्सालयों में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण योजनान्तर्गत जिला पुरूष चिकित्सालय, आगरा में नये ओ0पी0डी0 ब्लाक (जी+2) के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-1362.51 लाख (रूपया तेरह करोड़ बासठ लाख इक्यावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-2288/पांच-1-2011-5(32)/11 दिनांक 29.09.2011 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) व्यय वित्त समिति की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत 02 नग पैंसेनजर लिफट हेतु बजटरी आफर / कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिडयूल आफॅ रेटस उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।

(7) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं एंव प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विभाग /कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) उक्त प्रायोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत् प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(12) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(13) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

(14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि शर्म विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(15) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(16) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(17) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।

वेब मास्टर

(18) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0 संख्या- वित्त ई0-3-108/दस-16 दिनांक 25 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या- 51 /2017/ 2750 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा ।
9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, आगरा।
9- प्रबन्ध निदेशक, पैक्फेड, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, पैकफेड, आगरा ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14-विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव।